रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 327] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 1983/भाद्र 14, 1905
No. 327] NEW DELHI, MONDAY, SEPT 5, 1983/BHADRA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1983

सं. 236/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 684(अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं 81/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् —

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"77 सं. 234/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 सितम्बर, 1983 ।

[फा. सं. 60/3/83-के. उ. शु.-2]

के. पी. श्रीधर रामण, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1983

NO. 336|83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 684(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81|83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the said notification, after Sl. No. 76 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely :—

"77. No. 234 83-Central Excises, dated 3rd September, 1983."

[F. No. 60|3|83-CX-2]

K. P. SRIDHARA RAMAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1983